न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

मिसल नं0:–28/19 निर्णय दिनांक: 29.11.19

अनवानः– स्टेट जरिये प0ह0 गंगाशहर **बनाम** अशोक कच्छावा पुत्र श्री अखाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगाशहर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल अशोक कच्छावा पुत्र श्री अखाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 56 के तादादी 2800 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज रूप से चारदीवारी व कमरा बना कर राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार तामिल कराया गया। लेकिन गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राधाकिशन स्वामी आदि द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उक्त भूमि को ग्राम सुजानदेसर की आबादी भूमि बताया गया। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त भूमि स्पष्टतया गै0मु0 गोचर भूमि है। जिससे साबित होता है कि अतिकमी द्वारा गोचर भूमि पर जानबूझ कर अतिक्रमण किया गया है।

गैर सायल अशोक कच्छावा पुत्र श्री अखाराम जाति माली निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 56 के तादादी 2800 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार खेमाराम पुत्र श्री जाति माली को अतिकमी घोषित किया जाता है एवं 2800 वर्गफीट पर भू–राजस्व की रकम रू0 का 50 गुणा कुल राशि रू0 का तावान आरोपित किया जाता है । उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिकमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बीकानेर तथा पटवारी प0ह0 गंगाशहर को आदेश दिया जाता है। अतिकमी को राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner